

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)/ए.सी.पी./अलेसे-III / 241

दिनांक :- 16-X-2017

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 116/2016-17 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा श्री दीनदयाल वर्मा कनिष्ठ लेखाकार मेरिट नं. 513/1992 (लिक नं.4107), कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर को 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा दिनांक 09.03.2013 को पूर्ण करने पर उन्हें परनिन्दा के दण्डादेश दिनांक 04.02.2016 से दण्डित किये जाने के कारण कनिष्ठ लेखाकार पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी), पे-बैन्ड 2 (9300-34800) में ग्रेड पे रुपये 4800/- एक वर्ष देरी से अर्थात् दिनांक 09.03.2014 से स्वीकृत की गई थी।

श्री वर्मा द्वारा निदेशालय द्वारा पारित परनिन्दा दण्डादेश दिनांक 04.02.2016 के विरुद्ध वित्त(राजस्व) विभाग, जयपुर को अपील की गई। उक्त अपील पर वित्त(राजस्व) विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प.2(6)वित्त/राजस्व/2016 दिनांक 12 जून 2017 के अनुसार निदेशालय के दण्डादेश दिनांक 04.02.2016 को निरस्त किया गया है। अतः श्री वर्मा को पूर्व में स्वीकृत कनिष्ठ लेखाकार पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति(ए.सी.पी) की तिथि व ग्रेड-पे को संशोधित करते हुए ग्रेड-पे 4800/- के स्थान पर 4200/- एवं देय तिथि 09.03.2014 के स्थान पर दिनांक 09.03.2013 से स्वीकृत की जाती है।

श्री वर्मा को पूर्व में स्वीकृत द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति(ए.सी.पी) के आदेश दिनांक 26.10.2016 में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)/ए.सी.पी./अलेसे-III / 241

दिनांक :- 16-X-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सवाई माधोपुर।
2. श्री दीनदयाल वर्मा कनिष्ठ लेखाकार मेरिट नं. 513/1992 (लिक नं.4107), कार्यालय कोषाधिकारी सवाई माधोपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)